प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांक-10.11.2025

थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा चोरी के जेवरात के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार, ₹24 लाख मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात बरामद-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रणधीर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से 131 ग्राम सोने के आभूषण एवं 02.900 किलोग्राम चांदी के जेवरात (कुल कीमत लगभग ₹24,00,000/-) बरामद किये गये हैं।

घटना का विवरण :

आवेदक गिरीश कुमार सोनी पुत्र श्यामनाथ सोनी निवासी ग्राम व पोस्ट वाड्रफनगर, थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर (छत्तीसगढ़) ने थाना रॉबर्ट्सगंज पर तहरीर दी थी कि दिनांक 15.10.2025 को वह व्यापार के सिलसिले में वाराणसी गया था। उसी दिन रात्रि 20:25 बजे उसने टेंगरा मोड़, वाराणसी से वाड्रफनगर के लिए बस पकड़ी, साथ में उसका रिश्तेदार रामेश्वर सोनी पुत्र जगदीश सोनी भी था। आवेदक के पास एक बैग में लगभग 140 ग्राम सोने के जेवरात एवं 3 किलोग्राम चांदी के सामान थे। दिनांक 16.10.2025 को जब वह वाड्रफनगर उतरा तो पाया कि बैग से सोने व चांदी के जेवरात गायब हैं। इस संबंध में वाड्रफनगर पुलिस द्वारा तत्काल चेकिंग की गयी, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। घटना के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0 1078/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी।

दिनांक 08.11.2025 को रात्रि लगभग 21:20 बजे, थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण एवं मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर अभियुक्त सफीक खान पुत्र हसन अली निवासी खेरवाजगीर, थाना मानवर, जिला धार (मध्यप्रदेश) को टोंकी रोड, थाना मनावर, जनपद धार (मध्यप्रदेश) से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त के कब्जे से सोने एवं चांदी के जेवरात बरामद किये गये, जिन्हें वह बेचने के लिए ले जा रहा था।

पूछताछ का विवरण :

गिरफ्तार अभियुक्त सफीक खान पुत्र हसन अली निवासी खेरवाजगीर, थाना मानवर, जिला धार (मध्यप्रदेश) ने बताया कि वह अपने तीन साथियों जाबिर, अशफाक एवं आबिद के साथ जनपद धार से वाराणसी आया था। दिनांक 15.10.2025 को टेंगरा मोड़ वाराणसी से ही उन्होंने पीड़ितों का पीछा करना शुरू किया। जब बस उरमौरा ढाबा पर रुकी और दोनों व्यापारी खाना खाने उतरे, तभी अभियुक्तगणों ने मौका पाकर बैग से सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिये और वापस अपने जनपद धार (मध्यप्रदेश) लौट गये ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1सफीक खान पुत्र हसन अली, निवासी खेरवाजगीर, थाना मानवर, जिला धार (मध्यप्रदेश)।

वांछित अभियुक्तगण –

1जाबिर पुत्र हुसैन, निवासी खेरवाजगीर, थाना मानवर, जिला धार (मध्यप्रदेश)।
2अशफाक पुत्र कमाल, निवासी खेरवाजगीर, थाना मानवर, जिला धार (मध्यप्रदेश)।
3आबिद पुत्र अमजद अली, निवासी खेरवाजगीर, थाना मानवर, जिला धार (मध्यप्रदेश)।

बरामदगी का विवरण –

131 ग्राम सोने के आभूषण
02.900 किलोग्राम चांदी के जेवरात
(कुल कीमत लगभग ₹24,00,000/-)

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1उ0नि0 उमाशंकर यादव, थाना रॉबर्ट्सगंज
2 मु0हे0का0 विपिन कुमार जायसवाल, थाना रॉबर्ट्सगंज
3 का0 शिवम मौर्य, सर्विलांस सेल
4 का0 रितेश पटेल, एसओजी टीम

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत करने की घोषणा की है।

भारत मीडिया सोनभद्र